न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 73/2018 राजस्व अपील

1. रामसहाय } पुत्रान हट्या जाति मीना निवासी ग्राम जोध्या
2. मिश्रीलाल } तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

<u>बनाम</u>

1. राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपतहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय निर्णय दिनांक 28.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामसहाय वगैराह प्रकरण संख्या 270/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री राकेश जैमन अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक: 19.07.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स के विरूद्व पटवारी हल्का फर्राशपुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट रामसहाय, मिश्रीलाल पुत्रान हट्या निवासी ग्राम जोध्या तहसील सिकराय द्वारा सम्वत 2075 में तहसील सिकराय के ग्राम जोध्या की आराजी भूमि खसरा नम्बर 190 रकबा 0.03 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को दिनांक 28.08.2018 को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर पेनल्टी कायम करने के साथ ही अपीलान्ट्स को 90 दिन के सिविल कारावास से की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का यह निर्णय विधि, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना सुने, जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिये बिना ही यह निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट्स ने किसी भी सरकारी या रास्ते की भूमि पर कोई

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट अत्यन्त वृद्ध 80 साल के ग्रामीण काश्तकार व्यक्ति है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना भी साबित नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.08.2018 को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा संवत 2075 में ग्राम जोध्या तहसील सिकराय में स्थित 190 रकबा 0.03 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 28.08.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत आराजी भूमि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 17.07.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 270/2018 उनवानी सरकार बनाम रामसहाय वगैराह में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official